रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 9, 1987/भाद्र 18, 1909
No. 453] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 9, 1987/BHADRA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

13.10.87

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सं. 308/87—सीमाशुल्क

सा. का. नि. 758 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना

यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 136/86-सीमा-शुल्क तारीख 17 फरवरी, 1986 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

क्रम सं. 66 घ के सामने स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "80 प्रतिशत धन 21 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 346/82/87—टी. आर. यू.]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th September, 1987

NOTIFICATION

No. 308/87-CUSTOMS

G. S. R. 758 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 136/86-Customs, dated the 17th February, 1986, namely :—

In the Table annexed to the said notification, against Sl. No. 66-D for the entry in column (4), the entry "80 per cent plus Rs. 21 per kg." shall be substituted.

[F. No. 346/82/87-TRU.]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987